न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 68/22 निर्णय दिनांकः– 02-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2022/140)

1. पठान खॉ पुत्र श्री फरीदखॉ जाति मुसलमान निवासी खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–05–2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थिति :–

1. श्री रोशन अली, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 18–05–2017 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी से पुख्ता काश्त का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर तहसील छत्तरगढ़ के ग्राम खारबारा हाल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कृष्णनगर में खसरा नम्बर 147 में कुल 47 बीघा बारानी भूमि का आवंटन सवंत् 2042 दिनांक 26–07–1984 को टीसी आवंटन किया गया था। कालान्तर में आराजी जैर का नवीनीकरण भी उपनिवेशन विभाग द्वारा किया जाता रहा है। आराजी जैर के उपनिवेशन से राजस्व विभाग में अन्तरित होने पर उक्त भूमि का नवीनीकरण नहीं किया गया परन्तु अपीलांट् आराजी जैर पर वर्ष 1984 से निरन्तर काबिज काश्त रहा है। अपीलांट् द्वारा अपनी आरजी काश्त को पुख्ता करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–05–2017 के माध्यम से उक्त भूमि का आरजी काश्त से पुख्ता आवंटन अपीलांट् के पक्ष में कर दिया गया। अपीलांट् द्वारा निर्धारित राशि 2000/– प्रति बीघा की दर से 90000/– रूपये खजानाराज में जमा भी करवा दिये गये। इस प्रकार आराजी जैर के बाबत् सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांट् द्वारा पूर्ण करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलांट् द्वारा अपने नाम का अंकन करवाने की कार्यवाही किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा कथन किया गया कि उक्त भूमि अन्य खातेदारान गीता पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल को बतौर एमएफएफआर में आवंटित हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के अन्य व्यक्ति को आवंटित किये जाने से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि क्या उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित है अथवा नहीं? दोनों की स्थितियॉ अपीलांट के पक्ष की है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के टीसी से पुख्ता आवंटन की भूमि को अन्य व्यक्ति को आवंटित किया गया है। अपीलांट् की पात्रता आज दिनांक तक कायम है तथा अपीलांट् के आवंटन को किसी भी स्तर पर आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् पात्रता अनुसार अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट् को पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटित करने के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होंने मियाद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है, ऐसे अवधिक आदेश पर मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जाकाश्त के टीसी से पुख्ता आवंटित किये जाने के प्रावधान निहित नहीं होने व आराजी जैर पर अपीलांट् का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—05—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 26—04—2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे कानूनी प्रकिया की समयबद्व जानकारी रखें। ऐसी स्थिति में अपीलांट को कानूनी प्रकिया की जानकारी नहीं होने के कारण निर्णय की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

मामलें में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को तहसील छत्तरगढ़ के ग्राम खारबारा हाल कृष्णनगर में खसरा नम्बर 147 में कुल 47 बीघा बारानी भूमि का आवंटन सवंत् 2042 दिनांक 26—07—1984 को टीसी आवंटन किया गया था। आराजी जैर का उपनिवेशन विभाग नवीनीकरण भी द्वारा किया जाता रहा है। आराजी जैर के उपनिवेशन से राजस्व विभाग में अन्तरित होने पर उक्त भूमि का नवीनीकरण नहीं किया गया। अपीलांट् द्वारा अपनी आरजी काश्त को पुख्ता करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—05—2017 के माध्यम से उक्त भूमि का आरजी काश्त से पुख्ता आवंटन अपीलांट् के पक्ष में कर दिया गया। अपीलांट् द्वारा निर्धारित राशि 2000/— प्रति बीघा की दर से 90000/—रूपये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खज़ानाराज में जमा भी करवा दिये गये। दौराने कार्यवाही अपीलांट् को आवंटित रकबा अन्य व्यक्ति गीता पुत्र स्व. धन्नाराम जाति मेघवाल को बतौर एमएफएफआर आवंटित आवंटित कर देने के कारण आराजी जैर का राजस्व रिकार्ड में अपीलांट् के नाम का अंकन नहीं होने व अपनी पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटित किये जाने के कथन के समर्थन में अपीलांट् आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का परिपत्र कमांक प–5 (ए) (24) उपनि/4604 दिनांक 08–11–2007 की प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में जिन अस्थाई कृषि पट्टाधारकों के अस्थाई आवंटन निरस्त हुए है या जिनके अस्थाई धारण की भूमि त्रूटिवश अन्य को आवंटित हो गई है, या किसी अन्य कारणवश राजकीय भूमि धोषित कर दी गई अथवा उस जगह पर वह भूमि आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अस्थाई पट्टा धारकों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर अथवा यदि पूर्व में आवेदन पत्र आमत्रित कर प्राप्त किये जा चुके है तो उन्हें सामान्य आवंटन में उपलब्ध शुद्व रकबाराज भूमि में से वर्तमान में उनकी भूमि आवंटन की पात्रता की जॉच कर राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के नियम 7 में वर्णित प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

हस्तगत् प्रकरण में भी एक व्यक्ति को टीसी आवंटन किये जाने व टीसी से पुख्ता आवंटन किये जाने के उपरान्त उक्त आवंटन खारिज किये बिना ही भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित करना नियम विरूद्व था। पूर्व टीसी धारक को सुनवाई का मौका दिये बिना वही रकबा अन्य को आवंटित कर देने से पूर्व आवंटी तथा कब्जाधारक की पात्रता एवं दावा समाप्त नहीं माना जा सकता। आवंटन अधिकारी को चाहिए था कि वे अपीलांट/आवेदक की पात्रता के आधार पर अन्यत्र रकबा आवंटित करते परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के आवंटन पर किसी प्रकार का निर्णय लिये बिना एकतरफा तौर पर उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किये जाने का यह निर्णय एकतरफा एवं अविवेकपूर्ण है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–05–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की पात्रता अनुसार अन्य भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 21/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर